UPET010054432025

<u>न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश,</u> कक्ष <u>संख्या-03, एटा।</u>
उपस्थितः- कमालुद्दीन : उच्चतर न्यायिक सेवा:
J.O. Code U.P. 2690
प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या-38/2025

राधेश्याम श्रीवास्तव उम्र करीब 69 वर्ष पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी 80/15 सुनहरी नगर शिकोहाबाद रोड़ एटा परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा।

----------अपीलार्थी/प्रतिवादी।

-बनाम-

श्री विपिन कुमार उम्र करीब 65 वर्ष पुत्र श्री अरविन्द कुमार निवासी ग्राम कवार परगना एटा सकीट तहसील व जिला एटा।

----------प्रत्यर्थी/वादी।

<u>-निर्णय-</u>

<u>{आज दिनांक 18-07-2026 को घोषित}</u>

1. प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), एटा के द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या-145/2017, राधेश्याम बनाम विपिन कुमार में पारित आदेश दिनांकित 24.07.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में आधार इस प्रकार से हैं कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश मनमाने ढंग से प्राप्त शक्ति का दुरूपयोग कर विधि व साक्ष्य के विरूद्ध पारित किया है जो पोषणीय नहीं है। आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय ने पक्षो को गुण दोष पर न्याय प्रदान करने की पोजिटिव सोच के साथ आदेश पारित नहीं किया है। अवर न्यायायल ने अपीलाण्ट का प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों को सही मानते हुये उसे स्वीकार किया है लेकिन प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० को कतई गलत विधिक एप्रोच के साथ खारिज करके उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट/प्रतिवादी ने जब ओन ओथ कथन किया कि उसे कोई वाद का सम्मन/रजिस्ट्री आदि की जानकारी किसी भी प्रकार से नहीं हो सकी क्योकि वह नौकरी दूसरे जनपद मैनपुरी में करता है और वहाँ से रोज कैसे आ सकता है। कभी कभार ही एटा आ पाता है लेकिन अवर न्यायालय ने इस सारवान तथ्य पर कोई भी न्यायिक दृष्टि से अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल ना कर कतई मनमाने तरीके से तामील मानकर आक्षेपित आदेश पारित कर अपीलाण्ट/ प्रतिवादी के न्याय पाने के सारे प्रयासों दरवाजो को समाप्त करने की सोच के साथ आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट/प्रतिवादी को जैसे ही जानकारी हुई तुरन्त उसने वाद में अपनी उपस्थिति कानूनी तरीके से दर्ज करायी है। हरगिज जानकारी होने से देरी नहीं की गयी है। प्रार्थना पत्र जानकारी से पूर्णतः अन्दर मियाद थे। दिनांक 26.08.2017 को अपीलाण्ट/प्रतिवादी डाक बगलिया स्थित टी०वी० अस्पताल में मरीज की जानकारी के सम्बन्ध में गया था इसलिए महेश चन्द्र पुत्र लटूरी सिंह वहाँ मिल गये थे किन्तु अवर न्यायालय द्वारा कतई गलत अपने अनुमान से लिया कि महेश से मुलाकात होने का सवाल ही नहीं है जबकि महेश से मिलने का उचित कारण प्रार्थना पत्र में सही दर्शित है। अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करके न्याय के सारे दरवाजे अपीलाण्ट के बंद कर दिये है। रजिस्ट्री व प्रोसिससरवर की कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है कि रजिस्ट्री के समय अपीलाण्ट/प्रतिवादी अपने घर पर था जबकि इस तथ्य की बावत पोस्टमेन व प्रोसिस सरवर की साक्ष्य न्यायालय को वाद में निर्णय लेने से पूर्व लेकर विधि का अनुसरण करते हुये सदभावी न्यायिक आचरण को अपनाते हुये तामील पर आदेश कर अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिये थी जबकि विपक्षी/ वादी वांछित धन राशि का चैक सं0-0421105 बैंक का दिनांक 09.08.2016 को प्राप्त कर चुका था ऐसी सूरत में वाद की कार्यवाही अग्रसारित होने का कोई विधिक औचित्य नही रहा। आक्षेपित आदेश एक बिदाउटरीजनिग का है जो किसी भी सूरत में स्थिर रहने योग्य नहीं है। विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि न्यायालय को वाद का निस्तारण गुण दोष पर करने के लिए स्वयं के द्वारा भी उचित कदम उठाते हुये निस्तारण गुण दोष पर करने का प्रयास करना चाहिए ताकि कोई न्याय से वंचित ना हो। आक्षेपित आदेश में विद्वान अवर न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.07.18 17:13:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पारित करने में प्रतिवादी पर सम्मन/ रजिस्ट्री की तामील के सम्बन्ध में विधि में प्रतिवादित सिद्धान्तो व परिस्थितजन्य तथ्यों की स्थिति को समझते हुये पोस्टमेन/प्रोसिस सरवर का बयान लेना आवश्यक था। अन्यथा की स्थिति में एकपक्षीय आदेश विधि की अपेक्षाओं के विपरीत होने के कारण किसी भी सूरत पर स्थिर रहने योग्य नहीं है। आक्षेपित आदेश के स्थिर रहने से अपीलाण्ट / प्रतिवादी का परिवार का जीवन अंधकार मय हो जावेगा तथा अपूर्तनीय क्षति होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। न्यायहित में अपील में वर्णित तथ्यों के प्रकाश में प्रस्तुत प्रकीर्ण अपील सव्यय स्वीकार की जाकर अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 24.07.2025 निरस्त किया जाना न्याय की दृष्टि में अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में अपीलाण्ट / प्रतिवादी की अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना है कि वर्णित उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रकीर्ण अपील स्वीकार की जाकर अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2025 को निरस्त किये जाने की कृपा की जावें।

3. अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से अपने तर्क के समर्थन में विधि व्यवस्था Ashraf and Kailash Prasad (Dead) and another [2017(120)ALR 769] प्रस्तुत की गयी है।

4. प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मूलवाद संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा पंजीकृत डाक से सम्मन प्रेषित किए गए थे और दिनांक 14.12.2015 को तामील पर्याप्त मानी गई थी। प्रतिवादी के उपस्थित न होने पर दिनांक 15.01.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई और दिनांक 28.05.2016 को वाद एकपक्षीय रूप से डिक्री हुआ। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। प्रतिवादी/अपीलार्थी को वाद दायर होने की सूचना थी, जानबूझकर प्रतिवादी/अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य इकरारनामा निष्पादित हुआ था। प्रतिवादी मूल रूप से एटा का निवासी है और सपरिवार सुनहरी नगर स्थित मकान में निवास करता है। वादी को प्रतिवादी के मैनपुरी में कार्यरत होने की कोई जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा महेश चंद्र के माध्यम से जानकारी होने की जो कहानी बनाई गई है, वह पूर्णतः काल्पनिक और मनगढ़ंत है। प्रतिवादी की नीयत में खोट आ गया है और वह शेष विक्रय मूल्य प्राप्त कर बैनामा नहीं करना चाहता, जबकि वादी सदैव बैनामा कराने हेतु तत्पर और इच्छुक है। एकपक्षीय निर्णय को अपास्त किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार अपील निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. मामले में उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मूल पत्रावली विद्वान विचारण न्यायालय से आहूत होकर अपील के साथ संलग्न है, उक्त का भी अवलोकन किया। अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था का भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील, न्यायालय सिविल जज (सी0 डि0), एटा के द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 145/2017, राधेश्याम बनाम विपिन में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4 सी2 में पारित आदेश दिनांकित 24.07.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रार्थनापत्र 4 सी2 को निरस्त किया गया है।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि वादी/प्रत्यर्थी के द्वारा वाद संख्या 373/2015 संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु दिनांक 25.08.2015 को संस्थित किया गया है। इसके बाद पत्रावली दिनांक 28.09.2015 को प्रतिवाद पत्र हेतु नियत थी। पत्रावली दिनांक 05.10.2015 को पैरवी हेतु नियत हुई इसके बाद पत्रावली 05.11.2015 को पैरवी के लिए नियत हुई और अगली सुनवाई दिनांक 14.12.2015 को नियत की गयी जिसमें तामीला को पर्याप्त माना गया। विद्वान विचारण न्यायालय के अपने आदेश में रजिस्टर्ड नोटिस कागज संख्या 14 सी1/4 दिनांकित 27.07.2015 में रजिस्ट्री कागज संख्या 14 सी1/5 एवं न्यायालय द्वारा प्रेषित रजिस्ट्री कागज संख्या 14 सी1/2 के आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध मूल वाद में तामीला अवधारित किया जाना उल्लिखित किया गया है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि नोटिस कागज संख्या 14 सी1/4 दिनांकित 27.07.2015 है, कागज संख्या 14 सी1/5 दिनांकित 14.07.2015 है। रजिस्ट्री कागज संख्या 14 सी1/2 दिनांकित 24.08.2013 है। इस प्रकार कागज संख्या 14 सी1/4, 14 सी1/5 एवं 14 सी1/2 वाद संस्थित किये जाने के पूर्व तिथि के है। यह वाद दिनांक 25.08.2015 को संस्थित हुआ है, जबकि उपरोक्त दस्तावेजों में उल्लिखित तिथि दिनांक 25.08.2015 के पूर्व की है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त दस्तावेजों के आधार पर जो तामीला पर्याप्त अवधारित किये जाने का तथ्य आलोच्य आदेश में उल्लिखित किया गया है, वह उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली में कागज संख्या 18 डी में डाक रसीद संलग्न है, जिसमें दिनांक 18.11.2015 का उल्लेख है। जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 27 के तहत डाक तामील की उपधारणा 'अकाट्य' नहीं होती, बल्कि यह एक खंडनीय उपधारणा (Rebuttable Presumption) है। जब प्रतिवादी ने न्यायालय के

समक्ष **शपथ पत्र पर** यह विशिष्ट कथन किया कि वह उक्त अवधि में मैनपुरी जनपद में शासकीय सेवा में कार्यरत था और उसे कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ, तो तामील के संबंध में संशय उत्पन्न होता है।

8. न्यायशास्त्र का यह मूलभूत सिद्धांत है कि न्यायालयों को तकनीकी बारीकियों के जाल में उलझने के स्थान पर पक्षों को विधिक सुनवाई का समुचित अवसर (Audi Alteram Partem) प्रदान करते हुए वादों का निस्तारण गुण-दोष पर करना चाहिए। एकपक्षीय डिक्री के कारण प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया है, जिससे उसके प्रति गंभीर विधिक अन्याय हुआ है। अपीलार्थी/प्रतिवादी का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उसने विवादित लेनदेन/इकरारनामे से संबंधित धनराशि मय ब्याज **चैक संख्या-042105** दिनांक 09.08.2016 के माध्यम से वादी को वापस कर दी थी और वादी ने उसे प्राप्त भी कर लिया था। यदि वाद के लंबित रहने या डिक्री के आस-पास वादी द्वारा ऐसी कोई धनराशि स्वीकार की गई थी, तो यह तथ्य वादी के आचरण और संविदा के विर्निदिष्ट अनुपालन की निरंतरता पर गहरा प्रभाव डालता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस सारवान तथ्य पर अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग न करके गंभीर भूल की है। एकपक्षीय कार्यवाही को वैध ठहराने से पूर्व विद्वान न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि प्रतिवादी को वाद की वास्तविक सूचना थी। प्रतिवादी द्वारा कपटपूर्ण तामील का आरोप लगाने के बावजूद डाकिया या प्रोसेस सर्वर का बयान न लिया जाना एक ऐसी प्रक्रियात्मक त्रुटि है, जिसके कारण एकपक्षीय डिक्री को बनाए रखना न्यायहित में उचित नहीं प्रतीत होता।

9. प्रकरण में उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी को वाद दायर होने की सम्यक सूचना तामील नहीं हुई। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.07.2025 में विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि है तथा विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित 24.07.2025 विधि एवं तथ्य के अनुकूल न होने के कारण स्थिर रखे जाने **योग्य** नहीं है। अतः प्रकीर्ण सिविल अपील **स्वीकार** किए जाने योग्य है।

-आदेश-

प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या 38/2025, राधेश्याम बनाम विपिन **स्वीकार** की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या-145/2017, राधेश्याम बनाम विपिन में पारित आदेश दिनांकित 24.07.2025 को **निरस्त** किया जाता है। प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 4 सी2 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता मु० 1000/-रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जे की धनराशि वादी/प्रत्यर्थी को अविलम्ब अदा की जाये।

तदनुसार, मूल वाद संख्या-373/2015 (विपिन कुमार बनाम राधेश्याम श्रीवास्तव) में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 28.05.2016 एवं डिक्री अपास्त की जाती है तथा एकपक्षीय कार्यवाही हेतु अग्रसर आदेश दिनांकित 15.01.2016 अपास्त किया जाता है और मूल वाद को उसके पुराने नंबर पर पुनर्स्थापित (Restore) किया जावे।

उभयपक्षों को आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.07.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी/अपीलार्थी को नियमानुसार लिखित कथन दाखिल करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर विधि अनुसार शीघ्रता से करने का प्रयास करें। पत्रावली विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश की प्रतिलिपि के साथ अविलम्ब प्रेषित की जावे। प्रकीर्ण सिविल अपील की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 18.07.2026

(कमालुद्दीन)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-03, एटा।
JO Code- UP2690

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक 18.07.2026

(कमालुद्दीन)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-03, एटा।
JO Code- UP2690